संख्या–662/XXVIII–1–2007–07/2005

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक: 02 जनवरी, 2009

विषय : उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत आयुष ग्राम की स्थापना हेतु मानकों के निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–2695/आयुष/2008–09 दिनांक 22.05.2008 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयुष ग्राम की स्थापना हेतु भूमि, आयुष (विविध पद्धतियों युक्त) चिकित्सालय, औषधी निर्माणशाला, हर्बल गार्डन, कार्टेज निर्माण, आयुर्वेद संग्रहालय एवं योग/ध्यान केन्द्र, पैथोलोजी, पंचकर्म चिकित्सालय तथा प्रशासनिक भवन आदि के न्यूनतम मानक निर्धारण किये जाने के लिए श्री राज्यपाल निम्नांकित दिशानिर्देश निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– भूमि :– प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में आयुष ग्राम की स्थापना हेतु न्यूनतम 50 नाली एवं मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 03 एकड भूमि की उपलब्धता आवश्क होगी।

2– आयुष ग्राम में निम्न सुविधाएं विकसित की जायेंगी:–

(I) प्रशासनिक भवन ।

(II) आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की अंतरंग एवं बहिरंग चिकित्सा सुविधा।

(III) पैथोलॉजी लैब।

(IV) हर्बल गार्डन ।

(V) औषधि निर्माणशाला ।

(VI) पर्यटक संसाधन केन्द्र ।

(VII) योग ध्यान केन्द्र एवं संग्रहालय ।

3– प्रशासनिक भवन का निर्माण :– आयुष ग्राम की समस्त गतिविधियों के प्रभावी अनुश्रवण, नियंत्रण एवं प्रबन्धन हेतु प्रशासनिक भवन का निर्माण लगभग 200 वर्ग मीटर भूमि पर होगा, जिसमें प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु लगभग 04 कक्ष निर्मित किये जायेगें ।

4– **आयुष चिकित्सालय** :– आयुष ग्राम में न्यूनतम 30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय होगा, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जायेगी, जहाँ इन पद्धतियों की विशिष्ट चिकित्सा यथा पंचकर्म, क्षारसूत्र एवं रसायन चिकित्सा भी आम जनता एवं देशी–विदेशी पर्यटकों हेतु उपलब्ध होगी । उपरोक्त चिकित्सालय लगभग 1200 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित होगा, जिसमें बहिरंग एवं अंतरंग विभाग होंगे ।

बहिरंग विभाग में पंजीकरण कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, स्टोर आदि होंगे तथा लगभग 07 चिकित्सा परामर्श कक्ष निर्मित किये जायेंगें । साथ ही आकस्मिक चिकित्सा कक्ष, शल्य चिकित्सा कक्ष, दो पंचकर्म चिकित्सा कक्ष निर्मित किये जायेंगे ।

अंतरंग विभाग में 6 शैय्यायुक्त 5 सामान्य कक्ष, एकल शैय्यायुक्त 15 प्राईवेट कक्ष एवं एकल शैय्यायुक्त 05 विशिष्ट कक्ष निर्मित किये जायेंगे । उपरोक्त चिकित्सालय में आयुष की सभी चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी । उपरोक्त चिकित्सालय भवन लगभग 1200 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित होगा ।

5– **पैथोलॉजी** :– आयुषग्राम में बहिरंग एवं अंतरंग रोगियों के उपचार एवं रोग निदान हेतु विभिन्न प्रकार की आवश्यक परीक्षणों हेतु पैथोलॉजी लैब स्थापित की जायेगी, जो कि चिकित्सालय भवन के साथ ही दो कक्षों में संचालित होगी ।

6– **हर्बल गार्डन** :– आयुष ग्राम में हर्बल गार्डन लगभग 02 हजार वर्ग मीटर भूमि (10 नाली) में विकसित किया जायेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधीय पौधों का कृषिकरण, संरक्षण, संबर्द्धन एवं उत्पादन किया जायेगा । इसे हर्बल गार्डन/डिमोस्ट्रेशन सेंटर/ट्रेनिंग सेन्टर के रूप में प्रयोग किया जायेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर उगने वाली औषधियों को उपचार हेतु प्रयोग करने के साथ ही स्थानीय कृषकों, युवाओं को प्रशिक्षण देकर आस–पास के कृषकों एवं युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे कि युवकों का रोजगार हेतु अन्यत्र पलायन भी रोका जा सकेगा ।

उपरोक्त हर्बल गार्डन प्रशिक्षु चिकित्सकों, शोध छात्रों एवं प्रशिक्षु फार्मासिस्टों को भी औषधीय पौधों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आदि दिया जा सकेगा ।

7– **औषधि निर्माणशाला** :– उपरोक्त चिकित्सालय में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण मुख्यतः आयुष ग्राम में स्थापित होने वाले हर्बल गार्डन एवं स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाले जड़ी–बूटियों के शोधन हेतु औषधि निर्माणशाला बनाई जायेगी, जो कि लगभग 500 वर्ग मीटर भूमि में निर्मित होगा, जिसमें 06 कक्ष निर्मित किये जायेंगे, जिनका विवरण निम्नवत् है ।

(I) कार्यालय कक्ष/1
(II) जड़ी बूटी (Raw Material) रख–रखाव कक्ष/1
(III) औषधि निर्माणशाल कक्ष/3
(IV) औषधि पैकिंग कक्ष/1
(V) निर्मित औषधि स्टोर/1
(VI) सामान्य स्टोर/1

8– **पयर्टक संसाधन केन्द्र** :– देशी–विदेशी पर्यटकों को आयुष की अति विशिष्ट चिकित्सा यथा पंचकर्म, क्षार सूत्र, रसायन एवं काय कल्प चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु आयुष ग्राम में उनके ठहरने एवं चिकित्सा हेतु विशिष्ट प्रकार के 10 काटेज निर्माण किये जायेंगे, जो कि लगभग 800 वर्ग मीटर भूमि में निर्मित किये जायेंगे, एक काटेज लगभग 20 वर्गमीटर स्थान पर निर्मित होगा, जिसमें चारों तरफ ओपन स्पेस होगा तथा एक शयन केन्द्र, एक चिकित्सा कक्ष, कीचन, शौचालय एवं ध्यान कक्ष निर्मित किया जायेगा।

9– **आयुर्वेद संग्रहालय तथा योग एवं ध्यान केन्द्र** :– आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न, ग्रन्थों, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पाण्डुलिपियों, परम्परागत वैद्यकीय ज्ञान एवं अन्य परम्परागत चिकित्सा के ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु आयुष ग्राम में आयुर्वेद संग्रहालय निर्मित किया जायेगा, साथ ही आगन्तुको एवं आयुष ग्राम वासियों के योग साधना एवं ध्यान हेतु एक हाल का भी निर्माण किया जायेगा ।

उपरोक्त संग्रहालय एवं योगध्यान केन्द्र लगभग 200 वर्ग मीटर भूमि में निर्मित किया जायेगा।

10– आयुष की विशिष्ट चिकित्सा एवं केरल में प्रचलित पंचकर्म चिकित्सा को जन सामान्य तक तक पहुँचाने की दृष्टि से आयुष संवर्ग के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। तदपरान्त प्रशिक्षित आयुष ग्राम में विशिष्ट चिकित्सा पंचकर्म, क्षार–सूत्र एवं रसायन चिकित्सा सेवा चिकित्सा कर्मियों के देखरेख में देशी–विदेशी पर्यटकों को भी उपलब्ध करवायी जायेगी। इस हेतु पर्यटकों को उच्च श्रेणी के आवास की व्यवस्था भुगतान के आधार पर की जायेगी, जिससे आयुष पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ

ही आयुष ग्रामों की आर्थिक रूप से स्वतः जीवन धारणीयता (Sustainability) भी सुनिश्चित होगी।

11— आयुष ग्रामों की स्थापना एवं संचालन पी0पी0पी0 मोड के आधार पर किया जायेगा । उक्त हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 **(Procurement Rule 2008)** के अध्याय— 5 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । यदि उक्त व्यवस्था में उपयुक्त पात्र उपलब्ध न हों तो ऐसी स्थिति में सरकारी व्यवस्था से भी राज्यान्तर्गत आयुष ग्रामों का संचालन किया जा सकेगा।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव

संख्या :— 1047(1)/XXVIII—1—2007—181/2005 टी0सी0II तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, गाजरा, देहरादून।
2. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरि. कोषाधिकारी, हरिद्वार ।
5. प्राचार्य/अधीक्षक, गुरूकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ।
6. वित्त अनुभाग—3/नियोजन विभाग/प्र0आई0सी0 ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव